न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 267 / 2022 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022 / 428**
दायर दिनांक :— 12.09.2022 | **निर्णय दिनांक :— 15.04.2025**

1. बंशीलाल पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी श्रीरामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. नैनाराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी श्रीरामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. मूमल पत्नी बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी श्रीरामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. कमला पत्नी नैनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामनगर तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. हजारीराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी श्रीरामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. रतनी पत्नी हजारीराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. मनोहरराम पुत्र मेहराजराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामनगर तह. बाप जिला फलोदी
5. अशोक कुमार पुत्र बीरूराम उर्फ बीरबलराम जाति विश्नोई नि. श्रीरामनगर तह. बाप
6. बीरूराम उर्फ बीरबलराम पुत्र खानूराम जाति विश्नोई नि. श्रीरामनगर तह. बाप जिला फलोदी
7. भंवरलाल पुत्र बीरूराम उर्फ बीरबलराम जाति विश्नोई नि. श्रीरामनगर तह. बाप जिला फलोदी
8. राजाराम पुत्र बीरूराम उर्फ बीरबलराम जाति विश्नोई नि. श्रीरानगर तह. बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 652/1 रकबा 6.8068 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 एवं अप्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 652/3 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी अधिकारों की भूमि 652/2 रकबा 6.8068 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 652 रकबा 5.6737 सरहद मौजा श्रीरामनगर पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना—अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ

15/4/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

Scanned with CamScanner

रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित बारह मास निवास करते आ रहे है। लेकिन वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त के विपरित करवा दी है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 से मिलावट कर कर दी है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित विधि विरूद्व तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्षा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम श्रीरामनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 652/1 रकबा 6.8068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/3 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/2 रकबा 6.8068 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 652 रकबा 5.6737 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का जाम्बा की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम श्रीरामनगर पटवार

15/4/19
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Scanned with CamScanner

हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 652/1 रकबा 6.8068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/3 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/2 रकबा 6.8068 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 652 रकबा 5.6737 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का जाम्बा की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/4/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

Scanned with CamScanner